संख्या-19/3405/71-2-14-सी0एम0यू0-133/2010

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 31 दिसम्बर, 2014**

विषय- वेतन समिति (2008) के प्रतिवेदन में टेलीफोन आपरेटर संवर्ग के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयो को किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के टेलीफोन आपरेटर संवर्ग पर लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर शासनादेश सं0-वे0आ0-2-2043/दस-54(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 17 अगस्त, 2010 में लिये गये निर्णयों तथा शासनादेश सं0-वे0आ0-2-664/दस-54(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 26 सितम्बर, 2013 में लिये गये निर्णयों, जिसमें छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (परिवर्तित नाम के0जी0एम0यू0 लखनऊ) के सामान्य कोटि के विभिन्न पदों/संवर्गो पर राजकीय मेडिकल कालेजों/राजकीय विभागों के सामान्य कोटि के विभिन्न पदों/संवर्गों के सम्बन्ध में लागू व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्था निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है, के क्रम में राज्यपाल महोदय के0जी0एम0यू0 लखनऊ के टेलीफोन आपरेटर पदों पर इण्टरमीडिएट तथा टेलीफोन प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र की अर्हता निर्धारित करते हुए दिनांक 17 अगस्त, 2010 से रू0 3200-4900 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 2000/- अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उपर्युक्त संशोधित वेतनमान में सम्बन्धित कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-वे0आ0-2-577/दस-59(एम)/2008, दिनांक 29 जून, 2010 एवं सपठित शासनादेश सं0-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 के अनुसार किया जायेगा।

उपर्युक्त व्यवस्था का समावेश करते हुए सम्बन्धित सेवा नियमावली में यथाशीघ्र संशोधन कर लिया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-822/दस-2014, दिनांक 14 नवम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-19/3405(1)/71-2-14-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2।
6. वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-1
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
8. गार्डफाइल।

आज्ञा से

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।